प्रेस विज्ञप्ति

जल एवं सामान्य प्रशासन विभाग राजस्व के सम्बन्ध में।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया द्वारा प्राधिकरण की वर्तमान वित्तीय तरलता में अपेक्षित सुधार लाये जाने हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे हैं तथा इस हेतु महोदया द्वारा विभिन्न विभागों के साथ प्राप्तियों के सम्बन्ध में समीक्षा भी की जा रही है। जल विभाग की समीक्षा के दौरान यह संज्ञान में आया कि प्राधिकरण के जल राजस्व के मद में देय धनराशि का भुगतान अधिकांश आवंटियों द्वारा लम्बे समय से नहीं किया जा रहा है, जिस कारण जल राजस्व के मद में आवंटियों पर काफी अधिक देनदारी लम्बित है। जिसके दृष्टिगत महोदया के निर्देशन में बकायेदारों को नियमित अन्तराल पर प्राधिकरण की जल राजस्व के मद में देय धनराशि जमा कराये जाने हेतु नोटिस/मांगपत्र जारी किये जाने के आदेश दिये गये तथा 5 लाख से बड़े बकायेदारों के विरूद्ध धनराशि जमा न कराये जाने के फलस्वरूप उन पर सख्त कार्यवाही करने के आदेश भी दिये गये। जिसके परिपेक्ष्य में जल राजस्व विभाग द्वारा कार्यवाही की गयी बकायेदारों को नोटिस तामिल कराया गया तथा बड़े बकायेदारों द्वारा धनराशि जमा न कराये जाने पर उनके जल/सीवर कनेक्शन को विच्छेद भी किया गया। साथ ही लोगों को सहूलियत एवं लाभ दिये जाने हेतु अमनेस्टी योजना भी लायी गयी जिससे लोगों को प्राधिकरण की देनदारी जमा कराये जाने हेतु उनको प्रोत्साहित भी किया जा सके।

प्राधिकरण द्वारा उठाये गये इस कदम से आवंटियों द्वारा प्राधिकरण की जल राजस्व के मद में देय धनराशि जमा कराये जाने का उत्साह भी दिखाया गया जिससे प्राधिकरण को वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित लक्ष्य 60.00 करोड़ के सापेक्ष माह फरवरी तक 2020 तक 96.05 करोड़ की प्राप्ति हुयी है। पिछले पूर्ण वित्तीय वर्ष में प्राधिकरण को रू 83.20 करोड़ की प्राप्ति हुई थी। इस वित्तीय वर्ष में अभी तक जो जल राजस्व प्राप्त हुआ है वह पिछले पूर्ण वित्तीय वर्ष की अपेक्षा 22% अधिक है तथा इसमें और वृद्धि होने की प्रबल सम्भावना है।

इसी प्रकार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विभिन्न विभागों/सरकारी विभागों/संस्थाओं को भी किराये पर सम्पत्ति का आवंटन किया गया है परन्तु इनके द्वारा भी लम्बे समय से प्राधिकरण की देयताओं को जमा नहीं कराया गया जिस कारण इन संस्थानों पर प्राधिकरण की देयता लम्बे समय से लम्बित रही थी। इस वित्तीय वर्ष में इन सम्पत्तियों से वसूली का लक्ष्य रू 1.90 करोड़ निर्धारित किया गया था। मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया के आदेशों के क्रम में समस्त संस्थानों से प्राधिकरण की देय धनराशि जमा कराने हेतु नोटिस जारी किये गये तथा बड़े बकायों के विरूद्ध आर0सी0 जारी किये जाने की कार्यवाही भी की गयी। फलस्वरूप इस वित्तीय वर्ष में माह फरवरी तक धनराशि रू 30.88 करोड़ की प्राप्ति हुयी है जो निर्धारित लक्ष्य से लगभग 1525.26% अधिक रही है।

Scanned with CamScanner